न्यायालय भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी — एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

1—प्रकरण संख्या 11/2016 (बांसवाड़ा डिक्री)

श्री थावरा पिता स्व. श्री हकरा मईडा भील निवासी मुलिया पटवार मण्डल छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज0)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मृतक श्री जगजी पिता वजीया मईडा निवासी मुलिया पटवार मण्डल छोटीसरवन के बजाय :—

   1/1— श्री वागजी पिता जगजी मईडा भील निवासी गांव मुलिया पटवार मण्डल छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज0)

   1/2— श्री धनिया पिता जगजी मईडा भील निवासी गांव मुलिया पटवार मण्डल छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज0)

   1/3— श्री मनजी पिता जगजी मईडा भील निवासी गांव मुलिया पटवार मण्डल छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज0)

   1/4— श्री नानजी पिता जगजी मईडा भील निवासी गांव मुलिया पटवार मण्डल छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज0)

   1/5— श्री लक्ष्मण पिता जगजी मईडा भील निवासी गांव मुलिया पटवार मण्डल छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज0)

   1/6— श्री दिनेश पिता कालिया मईडा भील निवासी गांव मुलिया पटवार मण्डल छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा

   1/7— श्री जीवणी पत्नी कालिया मईडा भील निवासी गांव मुलिया पटवार मण्डल छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा

2. श्री तेलिया पिता जीवणा मईडा भील निवासी गांव मुलिया पटवार मण्डल छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज0)
3. श्री रामचन्द पिता जीवणा मईडा भील निवासी गांव मुलिया पटवार मण्डल छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज0)

4. श्री लक्ष्मण पिता जीवणा मईडा निवासी गांव मुलिया पटवार मण्डल छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज0)
5. गंगा पुत्री जीवणा मईडा भील निवासी गांव मुलिया पटवार मण्डल छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज0)
6. श्रीमती केसरी पत्नी जीवणा मईडा भील निवासी गांव मुलिया पटवार मण्डल छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (नाम हटाया गया।)
7. श्री जीवा पिता श्री हकरा मईडा भील निवासी गांव मुलिया पटवार मण्डल छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज0)
8. श्री कानजी पिता हकरा मईडा भील निवासी गांव मुलिया पटवार मण्डल छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज0)
9. श्री नाथू पिता हकरा मईडा भील निवासी गांव मुलिया पटवार मण्डल छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज0)
10. श्री शंकर पिता हकरा मईडा भील निवासी गांव मुलिया पटवार मण्डल छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज0)
11. श्री नानकराम पिता हकरा मईडा भील निवासी गांव मुलिया पटवार मण्डल छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज0)
12. श्रीमान भूमिधारी जरिये तहसीलदार कार्यालय छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज0)

.... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी छोटीसरवन दिनांक 9—7—2015 प्रकरण
सांख्या 06/2015 राजस्व वाद

———/———

उपस्थित :—1— श्री समर पण्ड्या अभिभाषक अपीलान्ट
2— राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या—12

—————————————

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 15—01—2018</u>

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/7 के पूर्वज जगजी द्वारा अपीलान्ट व अन्य

रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा–88, 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मूल पुरूष वजिया पिता हरजी मईडा होकर उसके 4 पुत्र दितीया, हकरा, जीवणा, जगजी वादी हुए। दितीया ला–औलाद फोत होकर उसकी पत्नीयां भी मर चुकी है। हकरा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 से 11 (अपीलान्ट थावरा प्रतिवादी संख्या–7 सहित) तथा जीवणा के वारिसान प्रतिवादी संख्या–1 से 5 है। पक्षकारान का सजरा वादपत्र की कलम संख्या–1 अनुसार है। पक्षकारान की संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक भूमि वादपत्र की कलम संख्या–3 अनुसार कूल किता–19 रकबा 63 बीघा 18 बिस्वा ग्राम मुलिया में स्थित है। यह कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2008 में जीवणा, हकरा, दितीया व वादी जगजी के नाम दर्ज रही है तथा चारों संयुक्त कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। सम्वत् 2008 से लेकर 2024 तक वादी का नाम भ्झी उसके सगे भाई दितीया हकरा व जीवणा के साथ सह–खातेदार के रूप में दर्ज रहा है। सम्वत् 2025 में नई जमाबन्दी बनने पर वादी का नाम उसके सगे भाई दितीया, हकरा व जीवणा ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर सम्वत् 2025–28 की जमाबन्दी में दर्ज नहीं होने दिया तथा जीवणा, हकरा, दितीया ने उनके नाम से विधि विरूद्ध बिना किसी न्यायालय आदेश बाला–बाला दर्ज करवा ली। वादी आज भी भूमियों पर काबिज होकर मकान बना रखे है। वादी अब इन भूमियों में 1/3 हिस्से का खातेदारी का पात्र है, क्योंकि दितीया ला–औलाद फोत हो गया है। वादी को 1/3 हिस्से का सह–खातेदार घोषित किया जाय। वादी ने विभाजन का शिर्षक में तो वर्णन किया है, परन्तु विभाजन अनुतोष की वाद में मांग नहीं की है। प्रकरण में दिनांक 11–6–2015 को राजीनामा पेश करने की प्रार्थना की व दिनांक 9–7–2015 को राजीनामा बयानों के रूप में पेश होकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में दिनांक 9–7–2015 को वाद डिक्री करते हुए वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित क दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिंाक 9–7–2015 से रूष्ट होकर प्रतिवादी अपीलान्ट थावरा द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20–5–2016 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन व शपथ पत्र पेश कर वर्णित कारणों से मयाद कण्डोन किये जाने का निवेदन किया।

अखण्डित शपथ पत्र न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। जिन्होंने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से गुणावगुण आधार पर निर्णय किये जाने का निवेदन किया।

दौराने अपील रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 वादी की मृत्यु हो जाने के कारण उसका कायम मुकाम आवेदन स्वीकार किया गया तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की मृत्यु हो जाने के कारण वह सभी वारिसान पूर्व से रेकर्ड पर होने से उसका नाम तर्क किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट को सुना। उन्होंने लिखित बहस भी पेश किये जाने का अनुरोध किया एवं लिखित बहस दिनांक 3–1–2018 को पेश की जो पत्रावली के रेकर्ड पर है।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया, न ही साक्ष्य ली। दिनांक 9–7–2015 को राजीनामा में सभी गवाहों ने निम्नानुसार बयान दिया है :–

"हमारे उक्त खाते के पूर्वज दितीया के लाऔलाद फौत होने से पूर्व हमारे परिवार के थावर पिता हकरा के पक्ष में अपनी इच्छानुसार अपने हिस्से की जमीन दी जोन की सहमसति अनुसार खाता संख्या 43 नई 34 पुरानी वाके ग्राम मुलिया के कुल खेत–19 रकबा 63 –18 बीघा मं से दितीया के हिस्से की जमीन थावरा पिता हकरा को दी जाने एवं वादी जगजी पिता वजीया मईडा को सह–खातेदार घोषित किये जाने हेतु हम सभी राजीखुशी अपनी रजामंदी से उक्त बयान देकर अपने अंगुष्ठ निशान कर रहे जो वक्त जरूरत काम आवे"।

इन बयानों से स्पष्ट होता है कि दितीया के लाऔलाद फोत होने से उसकी इच्छानुसार दितीया के हिस्से की जमीन अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने की इच्छा प्रकट की थी, वसीयतनामा की प्रति भी पेश की थी। राजीनामा, वसीयत व सहमति अनुसार वादी का 1/4 हिस्सा ही बनता है।

अधिनस्थ न्यायालय ने रेकर्ड, तथ्यों व साक्ष्यों से व राजीनामा से अलग जाकर वादी को 1/4 के स्थान पर 1/3 हिस्से का खातेदार गलत घोषित किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद राजीनामा के आधार पर डिक्री किया है, परन्तु राजीनामें के सभी पक्षकारों की सहमति` पृथक जाकर वादी रेस्पोन्डेन्ट को 1/3 हिस्से का खातेदार घोाषित किया है तथा सहमति/राजीनामा तथा दितीया की वसीयत जिसे सभी पक्षकारों ने माना है, उसे भी अकारण नजर–अन्दाज किया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक व विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 9–7–2015 अपास्त कर ग्राम मुलिया के खाता संख्या 43 के कुल किता–19 रकबा 63 बीघा 18 बिस्वा में अपीलान्ट को 1/4, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/7 को 1/4, रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 से 6 को 1/4, तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 से 11 व अपीलान्ट को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम ....**उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री थावरा पिता स्व. श्री हकरा मईडा भील निवासी गांव मुलिया पटवार मण्डल छोटीसरवन तह0 छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा बनाम **1–श्री जगजी पिता वजीया मईडा नि0 गांव मुलिया के बजायः– 1/1–श्री वागजी पिता जगजी मईडा भील नि0 छोटीसरवन तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा व अन्य–16 तथा सरकार**

अपील नं0 **11/2016** बनाराजगी डिगरी अदालत .... **उपखण्ड अधिकारी**. ...... **छोटीसरवन** .... मुकाम मुर्क्खे........**09**........... माह ....**07**........... **2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ......**15**..... माह ......**01**.......... सन् **2018**.....रूबरू... पक्षकारान व हाजरी बवक्त बहस ....श्री समर पण्ड्या .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....राजकीय आधिवक्ता .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 9–7–2015 अपास्त कर ग्राम मुलिया के खाता संख्या 43 के कुल किता–19 रकबा 63 बीघा 18 बिस्वा में अपीलान्ट को 1/4, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/7 को 1/4, रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 से 6 को 1/4, तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 से 11 व अपीलान्ट को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**15**........माह ...**01**........ **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील					
2. स्टाम्प वकालत नामा......					
3. इजराय हुक्मनामा					
4. वकील फीस बाबत					
मीजान					
.					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।